SST No. 273/ 2017
Crime No. 1079/2016
State Vs RamSaroop Ors
u/s 304/34, 201 I.P.C. & 3(2)5 SC/ST Act

UPPB010037132017

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 2 जनपद पीलीभीत।

पीठासीनः राम किशोर IV, एच0जे0एस0 UP-6077

विशेष सत्र परीक्षण संख्या 273/2017

उत्तर प्रदेश राज्य

प्रति

1. रामस्वरूप पुत्र यादराम,
2. वीरबल पुत्र बालकराम,
3. ओमप्रकाश पुत्र हीरालाल,
4. लालता प्रसाद पुत्र हीरालाल,

निवासीगण बिठौराकलां, थाना गजरौला, जिला पीलीभीत।

अपराध संख्या– 1079/2016
धारा 304/34 201 भा0दं0सं0 एव 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना– गजरौला,
जिला– पीलीभीत।

निर्णय

(1) अभियुक्तगण रामस्वरूप, वीरबल, ओमप्रकाश व लालता प्रसाद के विरूद्ध पुलिस थाना गजरौला जिला पीलीभीत द्वारा अंतर्गत धारा 304, 201 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय द्वारा दिनांक 26.05.2017 को अभियुक्तगण रामस्वरूप, बीरबल, ओमप्रकाश व लालता प्रसाद के विरूद्ध धारा 304 सपठित धारा 34, 201 भा0द0स0 व धारा 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाने पर उक्त अभियुक्तगण का विचारण धारा 304 सपिठत धारा 34, 201 भा0द0स0 व धारा 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 में इस न्यायालय द्वारा किया गया है।

(2) अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रामसहाय पुत्र केसरी लाल, निवासी ग्राम जैतपुर, थाना गजरौला, जिला पीलीभीत ने दिनांक 30.10.2016 को एक तहरीरी रिपोर्ट इन कथनों के साथ थाना गजरौला में दाखिल की कि दिनांक 28.10.2016 को समय करीब शाम को 6 बजे उसको बेटा मान सिंह उम्र करीब 28 वर्ष ग्राम बिठौराकला, थाना गजरौला, जिला पीलीभीत रामलीला मेला देखने गया था, जब से उसका बेटा मान सिंह घर को वापस नहीं लौटा। उसने रिश्तेदारी व अन्य जगह पर तलाश कर रहा है। हुलिया सांवला रंग, लम्बाई लगभग 5 फिट, काली पैंट, सफेद हल्की रंग शर्ट व सूटर हॉफ कैथेई रंग।

Digitally signed by Ram Kishor
Date: 2026.03.25 16:17:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

(3) उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर थाना गजरौला में रपट नं. 25 समय 15:30 बजे दिनांक 30.10.2016 को गुमशुदगी दर्ज की गयी, जिसके उपरांत दिनांक 01.11.2016 को भोजराज द्वारा थानाध्यक्ष को संबोधित करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि मान सिंह की लाश मुडेला कलां के जंगल में पड़ी मिली, जिसकी सूचना रपट नं. 11 समय 9:30 बजे दर्ज की गयी, तत्पश्चात मृतक के शव का पंचायतनामा पुलिस द्वारा तैयार किया गया तथा पंचायतनामा से संबंधित प्रपत्र तैयार करके शव को वास्ते पोस्टमार्टम जिला अस्पताल पीलीभीत भेजा गया तथा विवेचना प्रारम्भ हुई। कालांतर में पी.एम. रिपोर्ट व डाक्टर के बयान के आधार पर गुमशुदगी को जरिये रपट नं. 31 समय 18:30 बजे मु.अ.सं. 1079/2016 अंतर्गत धारा 302 व 201 भा.द.सं. में तरमीम किया गया। दौरान विवेचना विवेचक ने साक्षीगण के बयानात लिये, घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शानजरी बनाया गया तथा दौरान विवेचना मृतक के पास से बरामद एक अद्द डंडा आलाकत्ल, मिट्टी खूनालूदा, मिट्टी सादा, एक फटा हुआ आधारकार्ड व एक छुरी कब्जे में लेकर फर्द तैयार की गयी। मृतक के विसरा को डी0एन0ए0 को वास्ते जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ.प्र. मुरादाबाद भेजा गया। विवेचक द्वारा विवेचना उपरांत प्रथमदृष्टया साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण रामस्वरूप, वीरबल, ओमप्रकाश व लालता प्रसाद के विरूद्ध धारा 304, 201 भा.द.सं. व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर इस न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया।

(4) अभियुक्तगण रामस्वरूप, वीरबल, ओमप्रकाश व लालता प्रसाद के विरूद्ध दिनांक 26.05.2017 को मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा धारा 304/34, 201 भा0द0सं0 व धारा 3(2)(5)एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार करके विचारण की मांग की।

(5) अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए पी0डब्लू0 1 रामसहाय, पी0डब्लू0 2 भोजराज, पी0डब्लू0 3 राममूर्ति, पी0डब्लू0 4 डा. संजीव कुमार, पी0डब्लू0 5 रेहान खान व पी.डब्लू. 6 अनुराग दर्शन को परीक्षित कराया गया है। उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी भी साक्षीगण को अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है।

(6) अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित प्रलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गये है –

क्र.सं.	**साक्षी संख्या**	**साक्षी नाम**	**प्रदर्श संख्या**	**अभियोजन प्रपत्र**
1	पी.डब्लू. 1	रामसहाय	प्रदर्श क–1	तहरीर
2	पी.डब्लू. 2	भोजराज	प्रदर्श क–2 प्रदर्श क–3	शव बरामदगी सूचना फर्द सादा मिट्टी, खूनालूदा, एक फटा हुआ आधारकार्ड व छूरी
3	पी.डब्लू. 3	राममूर्ति	–	–
4	पी.डब्लू. 4	डा. संजीव	प्रदर्श क–4	पंचायतनामा

		कुमार	प्रदर्श क–5	शवविच्छेन आख्या
5	पी.डब्लू. 5	रेहान खान	प्रदर्श क–6	नक्शा नजरी शव बरामदगी
6	पी.डब्लू. 6	अनुराग दर्शन	प्रदर्श क–7	आरोप पत्र

(7) अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्र फर्द बरामदगी आलाकत्ल, नक्शानजरी बरामदगी आलाकत्ल, गुमशुदगी जी.डी. 25, शव बरामदगी सूचना जी.डी. 11, तरमीमी जी.डी. 31 की प्रमाणिकता की औपचारिक सत्यता को अंतर्गत धारा 294 दं0प्र0सं0 स्वीकार की गयी है।

(8) अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। अभियुक्त ने अपने बयान में अभियोजन कथानक को गलत बताया है तथा साक्षीगण 1,2 व 3 के बयानों के संबंध में कहा कि गलत बयान दिया है। साक्षी पी.डब्लू. 4 व 5 के संबंध में कहा कि पता नही। साक्षी पी.डब्लू. 6 के बयान के संबंध में कहा कि गलत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। उनके विरूद्ध झूठा मुकदमा चला है। अभियुक्त की ओर से बचाव में कोई मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

(9) अभियोजन की ओर से दौराने बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के पुत्र मानसिंह जोकि अनुसूचित जाति का सदस्य है, को डंडों से पीटकर हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध कारित किया तथा उसके पुत्र के शव को वहद जंगल मुडैला कलां, थाना गजरौला, पीलीभीत फेंककर साक्ष्य का विलोपन किया। अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण से अभियोजन के कथनों का पूर्णतः साबित होता है। अतः अभियोजन अपने मामले को सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्व कर कठोरतम् दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

(10). बचाव पक्ष अधिवक्ता की ओर से अभियोजन के तर्कों का खंडन करते हुए लिखित तर्क प्रस्तुत कर कथन किया गया कि साक्षी पी.डब्लू. 1 रामसहाय ने अपने पुत्र मानसिंह की गुमशुदगी प्रदर्श क–1 के रूप में प्रमाणित की तथा अभियुक्तों द्वारा अपने सामने जुर्म का इकबाल की बात की। साक्षी पी.डब्लू. 1 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि उसके पुत्र की हत्या दिनांक 28.10.2016 की रात में कर दी गयी थी। इस साक्षी ने अग्रेतर अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया कि उसने न्यायालय सी.जे.एम. में धारा 156(3) सी.आर.पी.सी. का प्रार्थना पत्र दिया था, उस प्रार्थना पत्र में यह बात लिखी थी कि दरोगा सत्यपाल व कांस्टेबल रामऔतार ने दिनांक 28.10.2016 को उसके लड़के मानसिंह के साथ मारपीट की थी। उसने उन दोनों के खिलाफ न्यायालय सी.जे.एम. में अपने लड़के मानसिंह की हत्या करने का प्रार्थना पत्र दिया। इन दोनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के लिए दिनांक 24.01.2017 को पुलिस अधीक्षक को पंजीकृत डाक से प्रार्थना पत्र दिया था, परन्तु मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। इस साक्षी ने अग्रेतर अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि मृतक मानसिंह मेला देखने गया था, इस कारण उसे मेला कमेटी के रामस्वरूप, ओमप्रकाश, वीरबल, लालता प्रसाद पर अपने लड़के की हत्या का शक हुआ। मुल्जिमों के नाम पुलिस के बताने के बाद उसने सरकारी सहायता प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र दिया है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। साक्षी पी.डब्लू 2 ने अभियोजन कथानक का

समर्थन नहीं किया है तथा कहा है कि उसके सामने अभियुक्तगण रामस्वरूप, वीरबल, ओमप्रकाश व लालता प्रसाद द्वारा राम विलास से यह कहते नहीं सुना हम लोगों ने मिलकर मानसिंह को गलती से मारपीट कर हत्या कर दी। उसके साथ उसका भाई रामसहाय मौजूद नहीं था। पी.डब्लू. 3 पंचनामें का गवाह है। पी.डब्लू. 4 डा. संजीव कुमार चावला ने अपनी प्रतिपरीक्षा में मृतक की मृत्यु दिनांक 31.10.2016 से 30.11. 2016 को अधिकतम मृत्यु का समय हो सकता है, जबकि वादी द्वारा दिनांक 28.10. 2016 को उसकी मृत्यु होना कहा है। पी.डब्लू. 5 प्रथम विवेचक है, जिन्होंने पंचायतनामा भी भरा था तथा नक्शानजरी तैयार किया है। उनकी विवेचना के दौरान किसी अभियुक्त का नाम प्रकाश में नहीं आया। वादी मुकदमा रामसहाय द्वारा उसे किसी मुल्जिम का नाम नहीं बताया। पी.डब्लू. 6 अंतिम विवेचक है, जिनके द्वारा पूर्व विवेचक के बयान नहीं लिये गये। उसने किसी चश्मदीद अथवा किसी परिस्थितिजन्य साक्षी का कोई साक्ष्य अंकित नहीं किया। अतः उपरोक्त तर्को के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने में पूर्णतः विफल रहा हें अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

(11) उपरोक्त में अभियोजन द्वारा व अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किये गये है। उस आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया। विधितः अभियोजन पर भार है कि वह अभियुक्त पर लगाये गये आरोप का विश्वसनीय साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करें।

(12) अभियुक्त पर धारा 304, 201 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(2)(5)एस0सी0/एस0टी0 एक्ट अपराध के विषयक लगाये आरोप के संदर्भ में प्रस्तुत साक्ष्य से यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 28.10.2016 को समय 9 से 10 बजे रात के बीच वहद गाम बिठौराकलां, थाना गजरौला, जिला पीलीभीत में वादी मुकदमा रामसहाय जो अनुसूचित जाति का सदस्य है, के पुत्र मानसिंह को डंडों से पीटकर हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध कारित किया तथा उसके शव को दिनांक 01.11.2016 को समय अदम तहरीर, वाहद ग्राम जंगल मुडैला, कलां थाना गजरौला, जनपद पीलीभीत में फेंक कर साक्ष्य का विलोपन किया गया।

(13) अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के समर्थन में साक्षी **पी0डब्लू0 1 रामसहाय, वादी मुकदमा** को परीक्षित कराया, जिसने ने अपने बयान में कहा है कि''मैं धोबी अनुसूचित जाति का हूॅ। मेरे पुत्र का नाम मान सिंह थां। उसकी उम्र 28 वर्ष थी। 28 अक्टूबर, 2016 की घटना है। मान सिंह ग्राम बिठौराकलां में मेला व रामलीला देखने गया था। सांय 6 बजे निकला था। मान सिंह कत्थाई रंग का सूटर व हल्की सफेद रंग की शर्ट व काली पैट पहने हुए था। स्वेटर हाफ पहने हुए था। बिठौराकलां मेले में उसे लोगों ने देखा था, जब वह लौटकर सुबह तक नहीं आया, तब मान सिंह को मैंने तलाश किया। रिश्तेदारों के यहां मालूम किया, लेकिन कोई पता नहीं चला, तब 30.10.2016 को थाना गजरौला में गुमशुदगी की तहरीर दी। मैंने दिन के लगभग साढ़े तीन बजे तहरीर थाने पर दिया था। थाने के बाहर तहरीर लिखवाई थी। सुनकर के तहरीर पर हस्ताक्षर किये और हस्ताक्षर की शिनाख्त पेपर पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। इसके बाद दिनांक 01.11.2016 को मेरे बेटे मान सिंह का शव ग्राम मुढ़ैलाकलां में श्यामाचरन के गन्ने के खेत में मिला था, मैं वहां गया था, अपने बेटे की शव का पहचान किया था। मेरे साथ मेरे परिवार के भाई भोजराज और रिश्तेदार गये थे। मान सिंह की लाश

मिलने की सूचना मेरे भाई भोजराज ने थाने पर दिया था। सूचना के वाद पुलिस शव बरामदगी स्थल पर आयी थी और अपनी कार्यवाही की थी। हम लोगों ने 01.11.2016 को सुबह के वक्त के ही शव बरामदगी के स्थान पर पहुंच गये थे। घटना के करीब पौने चार महीने के बाद रामस्वरूप, बीरबल, लालता प्रसाद, राम विलास, भूप शंकर व ओमप्रकाश और इनके साथ कई अन्य लोग थे। प्रधान रामविलास ने मुझसे कहा कि हम लोग से गलती हो गयी। बीरबल, रामस्वरूप, लालता प्रसाद, रामविलास व भूपशंकर से गलती हो गयी। हमे क्षमा कर दिया जाये। हमने तुम्हारे लड़के को धोखे में मार डाला, जबकि गलती किसी दूसरे से हुयी थी। ये घटना भूपशंकर की लड़की छेड़ने के बावत हुयी थी। मैंने कहा धोखा कैसे हुयी आप लोगों ने मेरे बेटे को मार डाला व उसकी लाश को छिपाया भी, तो इसमें धोखा कैसे हुआ। ये लोग अभी भी फैसला करने पर दबाव बना रहे है, कहते है कि तुझे भी तेरे लड़के की तरफ ही मार डालेंगे। पुलिस के विवेचक ने मेरा बयान लिया था।''

(14) बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि'' यह मृतक दिनांक 28.10. 2016 को सांय में मेला देखने गया था। यह भी सही है कि 28.10.2016 की रात को उसकी हत्या कर दी गयी है। मैंने ये बात सी.ओ. साहब से बता दी थी कि रामविलास मेरे पास आये थे और कहा था कि मुझसे गलती हो गयी। राम विलास ने मेरे अलावा मेरे भाई भोजराज से हुयी थी, जो भी बात थी, वो राम विलास से हुयी। ये लोग राम विलास के साथ आये थे। रामविलास के मुझसे अपनी गलती मानने से पहले ही मुझे पता लगाने पर यह संकेत मिल रहे थे कि इन्हीं मुल्जिमानों ने मेरे बेटे को मारा है। इनके खिलाफ मेरे घर पर भी मुल्जिमानों के आने से पहले पुलिस ने मुल्जिमानों के खिलाफ कोई कार्यवाही नही कर रही थी। मेरे लड़का घर से अकेला मेला गया था। रास्ते में उसको कौन कौन मिला, किस किस से भेंट हुयी, मुझे आज भी नहीं मालूम। मैंने न्यायालय सी.जे.एम. में धारा 156(3)द.प्रसं. का प्रार्थना पत्र दिया था। धारा 156(3)द.प्रसं. के प्रार्थना पत्र में यह बात लिखी थी कि दरोगा सत्यपाल व का. रामौतार ने 28.10.2016 को मेरे लड़के मान सिंह के साथ मारपीट की थी। मैंने उन दोनों के खिलाफ न्यायालय सी.जे.एम. में अपने लड़के मान सिंह की हत्या का मुकदमा दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3)द.प्रसं. दिया था, परन्तु उनके खिलाफ आदेश नहीं हुआ। इन दोनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के लिए दिनांक 24.01.2017 को पुलिस अधीक्षक को पंजीकृत डाक से दिया था व दिनांक 31.01.2017 को न्यायालय में दिया था, परन्तु मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। बिढौराकलां के प्रधान रामविलास जब मेरे घर आये थे, तो उन्होंने यह बात नहीं कही थी कि सी.बी.आई. जांच करा लो, पैसा हम देंगे। बिढौरा वाले बेकसूर है। मेरा लड़का मान सिंह कम बोल पाता था, उसका विकलांग प्रमाण पत्र भी बनवाया था। मान सिंह की लाश मिलने से पहले मुझे यह जानकारी नहीं कि मेरे लड़के की हत्या कर दी गयी है। मान सिंह मृतक मेला देखने गया था। इस कारण मुझे मेला कमेटी के रामस्वरूप, ओमप्रकाश, बीरबल, लालता प्रसाद पर अपने लड़की की हत्या का शक हुआ। पहले बार जब मैंने दरोगा जी को बयान दिए थे, तो मुल्जिमानें के नाम नहीं दिये थे, क्योंकि जानकारी नहीं थी। मुल्जिमानों के नाम पुलिस को बताने के बाद मैंने सरकारी सहायता प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र दिया था। सरकारी सहायता कोई रू. 5,00,000/– कोई 7,00,000/– व 8,00,000/– बताता है, इसकी प्रक्रिया चल रही है। भागदौड़ कर रहा हूॅ। यह कहना गलत है कि गलत बयानी कर रहा है। यह कहना भी गलत है कि सरकारी पैसा प्राप्त करने के उद्देश्य से मुल्जिमान के नाम झूठे बताए है।''

(15) इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य से स्पष्ट है कि यह साक्षी मृतक मान सिंह के पिता व वादी मुकदमा है, जिसकी तहरीर के आधार पर मृतक की गुमशुदगी दर्ज की गयी है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना के करीब पौने चार महीने बाद रामस्वरूप, बीरबल, लालता प्रसाद, रामविलास, भूपशंकर व ओमप्रकाश और इनके साथ कई अन्य लोग आये थे। प्रधान रामविलास ने उससे कहा कि उन लोगों से गलती हो गयी। उन्हें क्षमा कर दिया जाये। उन्होंने उसके लड़के को धोखे से मार डाला, गलती किसी दूसरे से हुयी थी। यह घटना भूपशंकर की लड़की को छेड़ने के बावत हुयी थी। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि उसने बात सी.ओ. साहब को बता दी थी कि रामविलास उसके पास आये थे और कहा था कि उनसे गलती हो गयी। रामविलास के उससे अपनी गलती मानने से पहले ही उसके पता लगाने पर यह संकेत मिल रहे थे कि इन्हीं मुल्जिमानों ने उसके बेटे को मारा है। इनके खिलाफ उसके घर पर भी मुल्जिमानों के आने से पहले पुलिस ने मुल्जिमानों के खिलाफ कोई कार्यवाही नही थी। उसका लड़का घर से अकेला मेला गया था। रास्ते में उसको कौन कौन मिला, किस किस से भेंट हुयी, मुझे आज भी नहीं मालूम। उसने न्यायालय सी.जे.एम. में धारा 156(3)द.प्रसं. का प्रार्थना पत्र में दरोगा सत्यपाल व का. रामौतार द्वारा 28.10.2016 को उसके लड़के मान सिंह के साथ मारपीट की थी। उसने दोनों के खिलाफ न्यायालय सी.जे.एम. में अपने लड़के मान सिंह की हत्या का मुकदमा दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र दिया, परन्तु उनके खिलाफ आदेश नहीं हुआ। मान सिंह की लाश मिलने से पहले उसे यह जानकारी नहीं कि उसके लड़के की हत्या कर दी गयी है। मृतक मान सिंह मेला देखने गया था। इस कारण उसे मेला कमेटी के रामस्वरूप, ओमप्रकाश, बीरबल, लालता प्रसाद पर अपने लड़की की हत्या का शक हुआ। पहले बार जब उसे दरोगा जी को बयान दिए थे, तो मुल्जिमानें के नाम नहीं दिये थे, क्योंकि जानकारी नहीं थी।'' इस प्रकार स्वयं वादी द्वारा अपने संपूर्ण साक्ष्य में इस बात को स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण द्वारा स्वयं उसके घर आकर उसके पुत्र/मृतक मानसिंह की हत्या जुर्म स्वीकार किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना स्वीकार किये जाने से पूर्व उसके पुत्र को किसने मारा उसे व पुलिस को जानकारी होने से इन्कार किया है। इस साक्षी ने अभियुक्तगण बीरबल, रामस्वरूप, भूपशंकर, शंकर लाल व उपनिरीक्षक सत्यपाल, कांस्टेबिल रामऔतार के विरूद्ध न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) द.प.प्रस्तुत कर कथन किया कि उसका पुत्र मान सिंह घर से दिनांक 28.10.2016 को बिठौरा में रामलीला मेला देखने गया था। उसकी जानकारी में आया कि प्रधान मैरेनो देवी पत्नी रामविलास की पोती/पुत्री भूपशंकर को मेला में किसी लड़के द्वारा छेड़खानी की गयी, जिसके शक में उसके लड़के को पकड़ लिया तथा पहले मेला कमेटी के लोगों बीरबल, रामस्वरूप, भूपशंकर व शंकर लाल ने मेले में मौजूद दरोगा सत्यपाल व सिपाही रामऔतार को सौप दिया, उन लोगों ने उसके बेटे के साथ रात्रि में बेरहमी से मारपीट कत्ल करके उसकी लाश गांव के श्यामाचारन के खेत में फेंक दी। साक्षी पी.डब्लू. 2 जो वादी मुकदमा का भाई है, इसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 23.02.2017 को वह बालकराम के साथ रामविलास के दरवाजे पर अभियुक्तगण द्वारा रामविलास से कहते हुए नहीं सुना था कि उन लोगों ने मिलकर मानसिंह को गलती से मारपीट कर हत्या कर दी। उसके साथ उसके भाई रामसहाय उस समय मौजूद नहीं था, क्योंकि वह ही मौजूद नहीं था। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा साक्ष्य में घोर विरोधाभासी कथन किये है, जिस कारण अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है।

(16) अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू0 2 भोजराज ने** अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि ''मेरे भाई रामसहाय का लड़का रामसिंह दिनांक 18.10.2016 को बिठौराकलां में मेला देखने गया था, लेकिन वह वापस नहीं आया, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मेरे भाई ने लिखायी थी। हम लोग तलाश करते रहे। दिनांक 01.11.2016 को उसी लाश मुडैलाकलां के श्यामाचरन के गन्ने के खेत में मिली। इसकी सूचना मैंने थाने पर दी थी। जो कागज संख्या ख11/8 के रूप में शामिल पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। पुलिस वाले मौके पर आये थे और अपने कब्जे में मिट्टी तथा एक फटा हुआ आधारकार्ड तथा एक छुरी कब्जे में की थी। इसकी फर्द बनाकर उस पर मेरे हस्ताक्षर बनवाये थे, जो पत्रावली पर कागज संख्या क6/1 के रूप में संलग्न है, इस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। दरोगा जी ने उसी समय लाश का पंचायतनामा मेरे समक्ष भरा था। पंचायतनामा पर मेरे हस्ताक्षर करवाये थे। मैंने मौके पर अपने भतीजे मान सिंह की लाश की शिनाख्त भी की थी। दिनांक 23.02.2017 को मैं बालकराम के साथ रामविलास के दरवाजे पर अभियुक्तगण रामस्वरूप, बीरवल, ओमप्रकाश व लालता प्रसाद द्वारा रामविलास से कहते हुए नहीं सुना था कि हम लोगों ने मिलकर मान सिंह को गलती से मारपीट कर हत्या कर दी। मेरे साथ मेरे भाई रामसहाय उस समय मौजूद नहीं था, क्योंकि मैं ही मौजूद नहीं था। मेरे सामने अभियुक्तगण ने यह भी नहीं कहा था कि गलतफहमी पर हम लोगों ने मान सिंह को लाठी डंडों से मारापीटा था और रात में उसे छोड़कर चले गये। सुबह देख तो उसकी मृत्यु हो गयी थी ओर मेला की बदनामी के कारण हम लोगों ने लाश को उठाकर गन्ने के खेत में डाल दिया।'' इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि पहली बार जब लाश को हमने देखा तो साथ में अन्य कई लोग भी थे। मैंने सी. ओ. साहब को यह बया नहीं दिया था कि रामस्वरूप, बीरवल, ओमप्रकाश, लालता प्रसाद व भूपशंकर के पिता रामविलास भैया के दरवाजे पर खड़े थे, तो यह यह देखकर मैं तथा बालकराम उनके पास खड़े हो गये। ये चारों लोगों ने मेरे बड़े भाई रामसहाय से कहा कि गजरौला थाने की पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमसे गलती हो गयी है, हमें माफ कर दो। हमने सी.ओ. साहब को अपने बयान में यह बात भी नहीं बताया था कि उपरोक्त चारों अभियुक्तगण ने हमारे सामने कहा था कि हमने लाठी डंडों से भ्रमवश मान सिंह को मारापीटा था और मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप लाश को चलकुंदी में छिपा दिया था और वाद में उसे निकाल कर गन्ने केखेत में फेंक दिया था। यह कहना गलत है कि मेरे भाई रामसहाय से इस समय मेरे अच्छे संबंध न होने के कारण मैं न्यायालय में सही बात न बता रहा हूॅ। यह कहना गलत है कि मैं मुल्जिमान से मिल गया हूॅ और सही बयान नहीं दे रहा हू।'' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि'' मान सिंह मेरे सामने मेला देखने नहीं गया था। मुझे मेरे भाई ने बताया था कि मेला देखने गया,इसलिए मैं यह बात आज बता रहा हूॅ। मैं रामस्वरूप वीरबल, ओमप्रकाश को नहीं जानता हूॅ। इन्हें मैंने आज पहली बार अदालत में देखा है।'' टू कोर्ट में इस साक्षी ने कथन किया कि'' मैं वादी मुकदमा रामसहाय का भाई हूॅ। वादी मुकदमा से मेरी बोलचाल नहीं है। मेरी बचपन से ही बोलचाल नहीं है। मैं मुल्जिमान को नहीं जानता हूॅ। मैं आज अकेले बयान देने आया हूॅ। मृतक मेरा भतीजा था। मृतक न तो डकैत था, न तो क्रिमिनल था। मृतक की गांव में किसी से दुश्मनी नहीं थी। चूंकि मैं जानता पहचानता नहीं, डराने धमकाने की बात हीं नहीं। मैं आज किसी लालच के बिना न्यायालय में गवाही दे रहा हूॅ।''

(17) इस प्रकार यह साक्षी वादी मुकदमा का भाई, मृतक मानसिंह के शव का शिनाख्त करने वाला व पंचनामा गवाह है। इस साक्षी ने अपने संपूर्ण साक्ष्य में अभियोजन कथानक से इतर एवं विपरीत कथन किये गये है, जिस कारण इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक को बल नहीं मिलता है।

(18) अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू0 3 राममूर्ति ने** अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि ''लगभग दो साल घटना को हुए है। मान सिंह की मृत्यु हुई थी। मान सिंह की लाश मुडैला गांव के खेत गन्ने में मिली थी। मैं वहां पर रामसहाय व गांव के अन्य लोगों के साथ गया था। वहां पर लाश देखी थी। लाश पर से कपड़े निकले हुए थे। पैंट व अण्डर बीयर निकले हुए थे। गर्दन पर चोट के निशान थे। हाथ में नाम लिखा हुआ था, मंद काला था। तेजाब जैसे डाला हुआ था। लिंग में भी चोट थी। मेरे सामने दरोगा जी ने शव को शील किया था और पंचायतनामा तैयार किया था। पंचायतनामा पर मेरे हस्ताक्षर करवाये थे। पंचायतनामा शामिल पत्रावली देखकर गवाह ने बताया कि इस पर मेरे हस्ताक्षर है, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। सी.ओ. साहब ने इस संबंध में मुझसे पूछताछ की थी।'' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि'' मैंने सी.ओ. साहब को अपने बयान में बता दिया था कि लिंग में व गर्दन में चोटे थे। यदि सी.ओ. साहब ने मेरे बयान में न लिखा हो, तो मैं कोई कारण नहीं बता सकता। मेरा घर लाश मिलने वाले स्थान से 30–32 किमी दूर है। वादी रामसहाय मेरा नातेदार भाई है। दो–तीन दिन गायब होने की जानकारी मिली थी, तो मैं खोज रहा था। राय पंचान में मैंने यह राय दी थी कि मान सिंह की मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है, इसलिए पी.एम. करा लिखा जाये। मैं 9–10 बजे दिन मृतक की लाश मिलने वाले स्थान पर पहुंच गया था। मैं वहां पर 2–3 घंटे तक रूका था। पुलिस मौके पर बाद में आयी थी। सूचना देने पर आये थे। मान सिंह की लाश गायब होने के चौथे दिन मिली थी। यह कहना गलत है कि वह गलत बयानी कर रहा हूॅ।''

(19) इस प्रकार यह साक्षी प्रस्तुत मामले का पंचायतनामा गवाह है, इसके द्वारा मृतक मान सिंह की लाश का पंचायतनामा उसके सामने भरने का कथन किया है। इस साक्षी ने पंचायतनामा पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की है। इस साक्षी के संपूर्ण साक्ष्य के विश्लेषण पर करने पर अभियोजन कथानक को कोई बल नहीं मिलता है कि अभियुक्तगण द्वारा ही कथित घटना कारित कर मृतक मान सिंह शव को वहां फेंका गया है।

(20) अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू0 4 डा. संजीव कुमार चावला** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि ''दिनांक 01.11.2016 को पोस्टमार्टम ड्यूटी के लिये तैनात था और 2:30 पी.एम. पर थाना गजरौला पुलिस द्वारा एक बॉडी मृतक मान सिंह पुत्र रामसहाय लेकर आये थे, जिसका पोस्टमार्टम 3:30 पी.एम. पर शुरू कर 4:10 पी.एम. पर पूर्ण किया गया। मृतक की उम्र 28 वर्ष थी। लाने वाले पुलिसकर्मी का नाम रामविलास व रनवीर थाना गजरौला, पीलीभीत, लेकर आये थे। शव की शिनाख्त करने वाले संबंधियों के नाम भोजराज चाचा, चिरौंजी लाल, चाचा। शव की लम्बाई 155 सेमी थी। कद काठी मध्यम थी। पहचान चिंह अंकित नहीं। शव के उपर वस्त्र एक पैंट, बैंल्ट समेत एक कमीज, एक स्वेटर फुल व एक स्वैटर हाफ था। एक अण्डर बियर व करधनी धागा व एक कलावा धागा था। एक गले का धागा एवं एक जोड़ी सैण्डिल कुल 9 अद्द थे। शव के मृत्यु

पश्चात परिवर्तन के रूप में मृत्यु पश्चात अकड़न जा चुकी थी। शरीर का तापमान प्राकृतिक तापमान पर था। (सामान्य बाहरी दिखावट) शरीर पर बालू व मिट्टी लगी हुयी थी। पेट फूला हुआ था। गुप्तांगो में अण्डकोष लिंग फूला हुआ था। बुल्ल मौजूद, फूल सूजे हुए थे। फफोले थे, जिस पर खाल जगह जगह निकली हुयी थी। बाहरी चोंटे 1. फटी हुयी चोट आकार 5 सेमी X 3 सेमी गर्दन पर खाल गहरी कान के पीछे। गर्दन की दांयी तरफ। खाल छूटना व सड़ना जारी था, जिसमें मैगेटस पाये गये। 2. शरीर के उपर रेत बालू व कीचड़ पूरी तरह लगा हुआ था। पेट फूला हुआ था। अण्डकोष व गुप्तांग लिंग फूला हुआ था, जिसमें शरीर पर फफोले मौजूद थे और जगह जगह शरी की खाल निकल रही थी। 3. पोस्टमार्टम के उपरांत होने वाले स्टेनिंग का आकलन लगातार होने वाले डीकम्पोजीाश्न के कारण आका नहीं जा सकता। 4. मैगेटस आलओवर बाडी। 5. ब्रेन तरलअवस्था मे। 6. आरगन्स और छिल्लियां घुंघली। (आंतरिक परीक्षण)– 1. स्कैल्प (खोपड़ी) जैसा वर्णित। 2. परोडी स्कैल्प–जैसा वर्णित। 3. ब्रेजन मस्तिष्क वजन 12 सौ ग्राम। 4. नासिका तथा कर्णगुहा दशा(भागनुमा) 5. मुखजीभ तथा ग्रासनी– जीभ सूजी हुयी। फेफड़ो की स्थिति तथा वजन–दाहिनी फेफड़ा 450 ग्राम व बांया फेफड़ा 400 ग्राम। हार्ट (दिल) की स्थिति बांया खाली, दांया भरा हुआ। उदर– (चिल्ली) की दशा–डिशवैडिड। पेट– अचपचा खाना सौ एम0एल0। यकृत पित्ताशय– वजन 1200 ग्राम। गाल ब्लैंडर– 180 ग्राम। गुर्दे की दशा व वजन– दांया साफ्ट व बांया साफ्ट दोनों गुर्दो का वजन 100– 100 ग्राम था। गुर्दो का रंग फीका था। मृत्यु का संभावित समय– दो दिन से अधिक। मृत्यु का कारण व प्रकार– मृत्यु का वास्तविक कारण विरचित नहीं किया जा सका। विसरा प्रिर्जन किया गया। जो फारेंसिक जांच हेतु पुलिस को दिया गया। सभी चोटे मृत्यु के पूर्व की थी। मृत्यु के पश्चात कोई चोट नहीं थी। जांच के लिए विसरा व वस्त्र व विष के प्रकरण में रिजवेटिव का नमूना। फारेसिंक जांच हेतु पुलिस को दिये गये। उक्त पी.एम. रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। का. 192 रामनिवास को उसके हस्ताक्षर करवाकर विसरा व वस्त्र आदि सौंपे गये। पी.एम. रिपोर्ट पर प्रदर्श क–5 डाला गया।'' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि'' मृतक मान सिंह का शवविच्छेन मैंने दिनांक 01.11.2016 को दिन के ढाई बजे किया था। मैंने मृत्यु का समय पी.एम. भरते समय दो दिन से अधिक मृत्यु का होना दर्शाया हे। मैंने दो दिन से अधिक इस कारण से लिखा है कि मृत्यु का समय एक घण्टा आगे पीछे हो सकता है। मेरे अनुसार मृतक की मृत्यु दिनांक 31.10.2016 से 30.10.2016 को अधिकतम मृत्यु का समय हो सकता है। मृतक के पेट में अधपचा भोजन मिला था, जो मृत्यु से छह घंटे के अंदर मृतक द्वारा खाया गया होगा।

(21) इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य से स्पष्ट है कि इस साक्षी ने मृतक की लाश का शवविच्छेन किया है, इसके द्वारा अपने साक्ष्य में मृतक को सभी चोटे मृत्यु पूर्व आने का कथन किया है मृत्यु पश्चात कोई चोट नहीं बतायी है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में मृतक की मृत्यु दिनांक 31.10.2016 से 30.10.2016 को अधिकतम मृत्यु का समय होना बताया है।

(22) अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू0 4 रेहान** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि ''दिनांक 22.11.2016 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त 1076/2016 धारा 302, 201 भा.द.स. पंजीकृत किया गया था। पूर्व में इस घटना के संबंध में दिनांक 30.10.2016 को रपट न. 25 समय 15:30 पर मृतक के संबंध में गुमशुदगी थाने पर दर्ज की गयी थी, जिसकी जांच एस.आई.

चन्द्रपाल सिंह द्वारा की जा रही थी तथा दिनांक 01.11.2016 को सूचना प्राप्त हुयी कि मृतक मान सिंह का शव थाना गजरौला क्षेत्र के मुडैला कलां के जंगल में मिला। सूचना पर मैं एस.ओ मै फोर्स के गया था तथा एस.आई. चन्द्रपाल सिंह द्वारा पंचायतनामा की कार्यवाही की गयी थी। विवेचना के क्रम में दिनांक 22.11.2016 को मुझ एस.ओ. द्वारा नकलरपट, सूचना गुमशुदगी, नकल पंचायतनामा व नकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गयी। दिनांक 23.11.2016 को बयान गुमगुदगी लेखक का हरिओम सिंह, बयान जांचकर्ता गुमशुदगी एस.आई. चन्द्रपाल सिंह, बयान वादी रामसहाय व वादी की निशानदेही पर निरीक्षण घटनास्थल किया गया, तत्पश्चात मेरा स्थानान्तरण क्राइम ब्राच हो गया था। नक्शानजरी मृतक के शव का मेरे हस्तलेख में है, लिखित व हस्ताक्षर भी है। नक्शानजरी में ए स्थान पर मृतक मान सिंह का शव मिलना पाया गया, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया।'' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि'' मुझे वादी मुकदमा रामसहाय ने अपने बयानों में किसी मुल्जिम का नाम नहीं बताया। आसपास लाश मिलने के स्थान किस–किस के खेत है, मुझे उनके नाम नहीं मालूम। लाश पहचानने की स्थिति में नहीं था।''

(23) इस प्रकार यह साक्षी प्रस्तुत मामले का प्रथम विवेचक है, जिसके द्वारा वादी मुकदमा की निशानदेही पर मृतक के शव का नक्शानजरी प्रपत्र को साबित किया गया है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस बात को स्वीकार किया है कि उसे वादी मुकदमा ने अपने बयानों में किसी मुल्जिम का नाम नहीं बताया। उसके द्वारा लाश के स्थान पर किस–किस के खेत है, उसके नाम उसे नहीं मालूम। इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक को बल नहीं मिलता है।

(24) अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू0 6 अनुराग दर्शन** ने अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 22.07.2017 को सी.ओ. सिटी पीलीभीत के पद पर तैनात होने, उसी दिन उसके द्वारा मु.अ.सं. 279/16 अंतर्गत धारा 304, 201 भा.द.स. व धारा 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम, थाना गजरौला, विवेचना में एस0सी0/एस0टी0 एक्ट की बढ़ोत्तरी के उपरांत ग्रहण किये जाने का कथन किया है। इस साक्षी द्वारा आरोप पत्र का प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया गया है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि ''मैंने खुद विवेचक द्वारा की गयी विवेचना का अवलोकन नहीं किया, न ही विवेचक द्वारा लिये गये साक्ष्यों के बयानों का मैंने पुष्टि नहीं की है। मैंने पूर्व विवेचक के कोइ बयान नहीं लिये थे। न ही पूर्व में दर्ज गवाहों से पुनः पूछताछ की। घटनास्थल का निरीक्षण नक्शानजरी नहीं बनाया है। मैंने पंचायतनामा के गवाहों के बयान लिखे है। मैंने किसी चश्मदीद अथवा किसी परिस्थितिजन साक्षी का कोई कथन अंकित नहीं किया। मैंने आरोप पत्र माननीय न्यायालय को प्रेषित किया है। यह कहना गलत है कि मैंने साक्ष्य विहीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया हो।''

(25) इस प्रकार यह साक्षी एक औचारिक साक्षी है, जिसके द्वारा आरोप पत्र को साबित किया गया है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि उसने पूर्व विवेचक द्वारा किता किया गये साक्ष्यों की पुष्टि नहीं और न ही उसके द्वारा पूर्व विवेचक के बयान लिये गये, उसने घटनास्थल का निरीक्षण नक्शानजरी नहीं बनाया और न ही उसने किसी चश्मदीद व परिस्थिजिन साक्षी का कोई कथन अंकित किया। अतः इस साक्षी द्वारा की गयी दोषपूर्ण विवेचना से अभियुक्तगण को लाभ मिलता है।

(26) इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि उपरोक्त मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। इस मामले में न तो किसी व्यक्ति द्वारा अभियुक्तगण को मृतक मान सिंह की हत्या करते हुए देखा गया। प्रस्तुत मामले में घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है तथा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अभियुक्तगण द्वारा ही मृतक मान सिंह की हत्या की गयी है। मृतक मान सिंह का अभियुक्तगण के साथ अंतिम बार देखे जाने का कथानक अविश्वसनीय एवं संदेहपूर्ण प्रतीत होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधिव्यवस्था **धर्मदेव यादव प्रति स्टेट आफ यू.पी. 2014(5) एस.सी.सी. 509** के अनुसार मात्र लास्टसीन की परिस्थिति ही दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नही है। इसके साथ प्रकरण की अन्य परिस्थितियो को भी देखा जाना चाहिए। इसप्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना के उपरांत यह निष्कर्ष निकल रहा है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण रामस्वरूप, वीरबल, ओमप्रकाश व लालता प्रसाद के विरुद्ध युक्तियुक्त साक्ष्य के माध्यम से आरोप दंडनीय अर्न्तगत धारा 304 सपठित धारा 34, 201, भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(5)एससी/एसटी एक्ट संदेह से परे साबित करने मे असफल रहा है अतः अभियुक्तगण रामस्वरूप, वीरबल, ओमप्रकाश व लालता प्रसाद को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण रामस्वरूप, वीरबल, ओमप्रकाश व लालता प्रसाद विशेष सत्र परीक्षण सं0. 273/2017, मु0अ0सं0 1079/2016 अंतर्गत धारा 304 सपठित धारा 34, 201, भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(5)एससी/एसटी एक्ट, थाना गजरौला, जनपद, पीलीभीत के प्रकरण मे दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण प्रत्येक धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत रुपये 1,50,000/— का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो—दो प्रतिभूपत्र एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

(राम किशोर IV)
दिनांकः 25.03.2026 विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 2,
जनपद पीलीभीत।

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(राम किशोर IV)
दिनांकः 25.03.2026 विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 2,
जनपद पीलीभीत।